पत्रांक–6 / ख़ा0म0पटना (नीति) -03 / 2016........655 (6) / रा0

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

OFFICE OF DISTRICT MAGISTRATE, ARARIA
16 JUN 2016
CONFIDENTIAL SECTION

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 16-6-16

विषय: **आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 के कियान्वयन के कम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक जल निकायो (water Bodies), यथा, पोखर, मन, झील, आहर, पईन, नहर, नाला, जल निस्सरण संरचनाओं एवं नदी आदि के अतिकमण मुक्त करने हेतु ''अभियान जल निकाय संरक्षण'' संचालन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

अवगत हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015 30 की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर सभी जिलों, प्रमंडल एवं विभागों को संसूचित किया है। इस रोडमैप में राज्य की बहुआपदा प्रवणता को रेखांकित करते हुए आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए जिलों एवं विभागों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे गये है।

2. बिहार पिछले कई वर्षों से अनियमित एवं अल्प वर्षापात से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति तथा पेयजल संकट का सामना करता आ रहा है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए रोडमैप मे प्रावधानित है कि भू–जल संरक्षण के लिए जिलों एवं विभागों के स्तर पर कार्रवाई की जाय। स्पष्टतः जल संरक्षण होने से अनियमित एवं अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति तथा सुखाड़ का सफलतापूर्वक सामना करने में मदद मिल सकती है। साथ ही बिहार के 28 जिले बाढ़ प्रवण है। परन्तु अधिक वर्षापात होने पर बाढ़ प्रवण जिलों के देहाती क्षेत्रों के अतिरिक्त राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी जल–जमाव एवं जल प्लावन की स्थिति बन जा रही है। पटना शहर में अधिक वर्षा हो जाने पर पिछले कई वर्षों से बाढ़ जैसी स्थिति बन जा रही है, जिससे नागरिकों को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। देश के स्तर पर मुंबई तथा हाल में चेन्नई शहर में बाढ़ की घटनाएँ हमारी आँखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं।

3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप की स्वीकृति के पश्चात् आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक- 20 एवं 21 मई, 2016 को इसके क्रियान्वयन के बिन्दु पर कार्यशाला आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला में यह तथ्य उभरा कि जल संरक्षण न होने तथा जल-जमाव एवं जल प्लावन का मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में अवस्थित जल-श्रोतों को प्रायः अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर दिया गया है। कार्यशाला में शामिल कई संस्थाओं ने यह जानकारी दी कि गाँवों में स्थित पोखर, पईन, नाला, नहर इत्यादि, यहाँ तक कि नदियों की भूमि, को भी अतिक्रमित कर वहाँ मकान बना दिये गये हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी जल निस्सरण की संरचनाओं, यथा, नाला, नहर आदि के अधिकांश भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया है। इन अतिक्रमणों के फलस्वरूप जल संरक्षण एवं भू-जल का रिचार्ज तथा नदियों का सामान्य प्रवाह बाधित हुआ है। फलतः वर्षा की कमी से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं एवं सुखाड़ से निपटने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा शहरों में जल-जमाव की स्थिति पैदा हो रही है।

4. उपरोक्त के आलोक में विभाग ने "अभियान जल निकाय संरक्षण" प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के अन्तर्गत जिलास्तर पर निम्न कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाय -

(i) प्रथम चरण में अभियान चलाकर सभी सार्वजनिक जल श्रोतों को चिन्हित किया जाय तथा अंचलवार इसकी सूची का संधारण प्रपत्र-I में किया जाय। (प्रपत्र-I संलग्न)

(ii) प्रपत्र-I को जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा इसपर आम जनता से भी जानकारी मांगी जाय ताकि जो जल श्रोत सूची में शामिल नहीं हों उन्हें भी सूची में शामिल कर प्रपत्र-I अद्यतन करने में मदद मिल सके।

(iii) संभावना हो सकती है कि उपरोक्तानुसार सूचीबद्ध जल श्रोतों की पूरी अथवा कुछ हिस्से की भूमि की जमाबंदी कायम करा ली गयी हो। अतएव अभियान चलाकर जमाबंदियों को विहित प्रक्रियानुसार रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। रद्द जमाबंदियों की सूचना संलग्न विहित प्रपत्र-II में संधारित कर जिले के वेबसाईट पर अपलोड की जाय।

(iv) अभियान चलाकर यह ज्ञात किया जाय कि प्रपत्र-I में संधारित जल-श्रोतों का अतिक्रमण हुआ है या नहीं। जल निकायो के अतिक्रमण को चिन्हित करने में GPS की मदद ली जा सकती है। यदि अतिक्रमण हुआ हो तो नापी कर अतिक्रमित भूमि का पता लगाया जाय एवं तदनुसार बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) के आलोक में अतिक्रमणवाद चलाया जाय। अतिक्रमणवाद प्रारंभ करने से लेकर उसके निष्पादन तक की

विभिन्न कार्रवाईयों को प्रपत्र–III में दर्ज किया जाय ताकि जिला स्तर पर इसका अनुश्रवण किया जा सके।

(v) अतिक्रमणवाद में निर्णय के उपरान्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाय तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 (2) में निहित के प्रावधानों के आलोक में सम्बन्धित अतिक्रमणकारी के विरूद्ध मुकदमा भी दर्ज किया जाय तथा हटाए गए अतिक्रमण की सूची को संबंधित थाना में सनहा के रूप में दर्ज कराया जाय, ताकि दुबारा अतिक्रमण नहीं हो। इसे थानाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित कराया जा सके। इस प्रकार हटाये गये अतिक्रमण के मामलों का संधारण प्रपत्र III में ही किया जाय।

5. यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जल–निकायों का स्वरूप परिवर्तन होने पर भूमि का अन्तर्विभागीय हस्तांतरण जिला/प्रमंडल स्तर से किया जा रहा है अथवा राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजा जाता है। मुंगेर प्रमंडल की समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, लखीसराय जिले से इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना मिली थी। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री का निदेश हुआ कि किसी भी स्थिति में ऐसी भूमि का अन्तर्विभागीय हस्तांतरण नहीं होगा, अपितु सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित जल निकायों का जीर्णोद्धार किया जाएगा अथवा उसका गहरीकरण किया जायेगा ताकि जल संरक्षण हो सके। अतएव किसी भी स्थिति में जल– निकायों का स्वरूप बदलने पर उनका अन्तर्विभागीय हस्तांतरण अथवा बंदोबस्ती (लीज सहित) नहीं किया जाय तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उनका जीर्णोद्धार एवं गहरीकरण किया जाय।

6. अपर समाहर्त्ताओं की विभागीय स्तर पर होनेवाली समीक्षा बैठक में उपरोक्त अभियान की समीक्षा की जायेगी।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ह0) 11/1/16

(व्यास जी)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 57 आप्रु० दिनांक 19/1/17

प्रतिलिपि – सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदा०, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता सिंचाई प्रमंडल, अररिया, बथनाहा एवं नरपतगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता जल निस्सरण अनुसंधान प्रमंडल पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, अररिया एवं फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदा० अररिया एवं फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/मनरेगा ~~अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ~~

प्रतिलिपि – आई० टी० प्रबंधक, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अररिया को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेश है कि Email से सभी को ~~[illegible]~~ प्राधिकार एवं पत्र एवं पत्रांक के साथ [illegible] D.D.M.

प्रपत्र–I

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	शहरी क्षेत्र की स्थिति में (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम/वार्ड सं0)	जलश्रोत का नाम पोखर/पईन/मन/झील/नहर/नाला/आहर/नदी/जल निस्सरण संरचना/अन्य	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	चौहद्दी				स्वामित्व के विभाग का नाम(यदि राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में हो तो गैरमजरूआ मालिक/आम उल्लेख की जाय	अभ्युक्ति
									उ0	द0	पू0	प0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

<u>प्रपत्र–II</u>

क्र० सं०	जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	शहरी क्षेत्र की स्थिति में (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम/वार्ड सं0)	जलस्रोत का नाम पोखर/पईन/मन/झील/नहर/नाला/आहर/नदी/जल निस्सरण संरचना/अन्य	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी				स्वामित्व के विभाग का नाम(यदि राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में हो तो गैरमजरूआ मालिक/आम उल्लेख की जाय	जमाबंदी पंजी की स्थिति/रकबा	यदि विभाग के अतिरिक्त किसी व्यक्ति/संस्थान के नाम से जमाबंदी चल रही है तो जमाबंदी द्वारा नाम/पता एवं रकबा	जमाबंदी रद्दीकरण की वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
									उ0	द0	पू0	प0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

प्रपत्र–III

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	शहरी क्षेत्र की स्थिति में (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत का नाम/वार्ड सं0)	जलश्रोत का नाम पोखर/पईन/मन/फीरा/नहर/नाला/आहर/नदी/ जल निस्सरण संरचना/अन्य	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	चौहद्दी				स्वामित्व के विभाग का नाम(यदि राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में हो तो गैरमजरूआ मालिक/आम उल्लेख की जाय	जमाबंदी पंजी की स्थिति/रकबा
									उ0	द0	पू0	प0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

भूमि की भौतिक स्थिति		न्यायालय का नाम एवं अतिक्रमण वाद संख्या एवं तिथि	अंतिम आदेश की तिथि	अतिक्रमण मुक्त कराने की तिथि	लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की धारा - 6(2) के अंतर्गत अपराधिक वाद दायर करने की स्थिति	अतिक्रमण मुक्त करने संबंधित सूची संबंधित थाना में सनहा दर्ज कराने की तिथि	अभ्युक्ति
अतिक्रमित पूर्ण/आंशिक	यदि अतिक्रमण आंशिक हो तो अतिक्रमित भूमि का रकबा						
16	17	18	19	20	21	22	23